(126)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

निगरानी प्र. कमांक— /2017

प्रस्तुत दिनॉक 26/07/2017

न्यायालय—माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/2918

गोकुलसिंह पिता भगवानसिंह

आयु—वयस्क धंधा—खेती

निवासी—ग्राम मुकाता तह. सावेर जिला इन्दौर ....आवेदक/प्रतिप्रार्थी

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री सुभाष पटेल
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 28-07-2017
को प्रस्तुत।

बाबूलाल पिता सोमाजी

आयु—वयस्क धंधा—खेती

निवासी—ग्राम मुकाता तह. सावेर 520 28-07-2017

जिला इन्दौर (म.प्र.)

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

...........अनावेदक/प्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदक/प्रतिप्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि —

यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय, कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील सावेंर जिला इन्दौर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कमांक—11/अ—13/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 के अनुसार परम्परागत रास्ता पाये जाने के संबंध में व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक के द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील सावेंर जिला इन्दौर के समक्ष धारा

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/2918**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री सुभाष पटेल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** रीडर **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	